मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण

अधिनियम 2007 (2007 **का सं**. 56)

अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22-2009-**छब्बीस**-2 **दिनांक** 2 **जुलाई**, 2009— **माता- पिता वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम** 2007 (2007 **का सं**. 56) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिनियमों की धारा 5 के अधीन भरण-पोषण के लिये आदेश का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये राज्य के [प्रत्येक उपखण्ड] मे **भरण-पोषण अधिकरण का गठन** करती है। अधिकरण की अध्यक्षता जिले के [उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)] से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-7-2009 पृष्ठ 613 पर प्रकाशित।]